

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक : एफ 39-7(1)()/आरए/2020/1223

दिनांक 06.01.2020

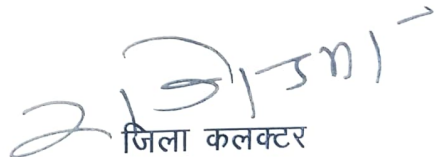
अधिशायी अभिन्यता एवं तक0 सहा0
वास्ते अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना वृत प्रथम, भीलवाड़ा

विषय : वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक अधी.अभि./परिवृत-I/ भील/2019-20/1127-28
दिनांक 19.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जन जाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने हेतु चम्बल भीलवाड़ा पेयचल परियोजना के फेज-2 पैकेज-8 (माण्डलगढ-बिजौलिया एवं जहाजपुर तहसील के 315 ग्राम) के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में वन भूमि में पाईप लाईन बिछाया जाना है। इस हेतु वन भूमि में से पाईप लाईन कार्य हेतु एफआरए प्रमाण पत्र एवं समतुल्य गैर वन भूमि आवंटन (2.0467 है0) की सहमति का आदेश जारी किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में जारी एफआरए प्रमाण पत्र की वन भूमि का उपयोग पाईप लाईन कार्य हेतु किये जाने के बाद वन भूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित आराजीयात में से उतनी ही भूमि (2.0467 है0) वन विभाग को आरक्षित/आवंटन कर दी जावेगी।


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1- उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा वन भूमि के एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एफआरए प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलंग्न है।

-8-
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा